



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:-जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 54/2026  
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:-88,53 आरटीए

जीत कुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला  
हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम

1. सावित्री पत्नी श्री लालचन्द जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सरोज देवी पत्नी स्व. श्री जैन कुमार जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. अश्वनी जाखड़ पुत्र स्व. श्री जैन कुमार जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.) जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. शिवानी जाखड़ पुत्री स्व. श्री जैन कुमार जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. रवीना जाखड़ पुत्री स्व. श्री जैन कुमार जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. रामप्रताप पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. संदीप कुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
9. तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा।

- प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

- 1- श्री महावीर बेरड़-वकील वादीगण
- 2- श्री कुलदीप मूण्ड-वकील प्रति.सं. 1 ता 7

निर्णय

दिनांक :- 23.2.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि प्रतिवादीया सं. 1 वादी की माता, प्रतिवादीया सं. 2 वादी की भाभी, प्रतिवादी सं. 3 वादी का भतीजा, प्रतिवादीया सं. 4 व 5 वादी की भतीजीया, प्रतिवादी सं. 6 व 7 वादी के चचेरे भाई है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस.टी.पी. के खाता सं. 35/40 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.012 है. कृषि भूमि, वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस.टी.पी. के खाता सं. 36/88 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.277 है. कृषि भूमि तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एस.टी.पी. के खाता सं. 52/8 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.265 है. कृषि भूमि तथा इसके अलावा तहसील पीलीबंगा के चक 46 एन.डी.आर. के खाता सं. 70/61 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 6 व 7 के नाम से 2.125 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। समस्त चको के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंगन वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया था। जिसमें प्रतिवादी सं. 1, 4 व 5 ने अपने समस्त

हायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 2, 3, 6 व 7 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया था। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2, 3, 6 व 7 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से है -

(क) वादी जीत कुमार पुत्र श्री लालचन्द(1/2 हिस्सा), प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमशः सरोज देवी पत्नी स्व. श्री जैन कुमार एवं अश्वनी जाखड़ पुत्र स्व. श्री जैन कुमार(1/2 हिस्सा ब.हि.ब.) समस्त जाति जाट निवासीगण 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि :-

चक 2 एस.टी.पी. खाता सं. 52/8 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

|         |        |  |
|---------|--------|--|
| प.नं.   | मु.नं. | कि.नं.   |
| 186/119 | 27     | 1ता4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है. |

मुमकिन 1.240 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 1.265 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 46 एन.डी.आर. खाता सं. 70/61 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

|        |        |  |
|--------|--------|--|
| प.नं.  | मु.नं. | कि.नं.   |
| 60/339 | 21     | 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 8,9/0.253 है.प्र., 12/1/0.127 है., 13,18/0.253 है.प्र., 22/1/0.101 है. |

60/341 31 17/1/0.126 है., 18/0.253 है.  
मुमकिन 2.075 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 2.125 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 35/40 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

|         |        |   |
|---------|--------|---|
| प.नं.   | मु.नं. | कि.नं.  |
| 183/119 | 22     | 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7/0.253 है. |

मुमकिन 0.709 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 36/88 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

|         |        |   |
|---------|--------|---|
| प.नं.   | मु.नं. | कि.नं.  |
| 183/119 | 22     | 2/0.127 है. (किला की पूर्वी दिशा में)<br>3,4,8/0.253 है.प्र., 9/0.126 है.(किला की पूर्वी दिशा में)<br>कुल 1.012 है. कृषि भूमि |

(ख) प्रतिवादी सं. 6 व 7 क्रमशः रामप्रताप पुत्र श्री बीरबलराम व संदीप कुमार पुत्र श्री बीरबलराम समस्त जाति जाट निवासीगण हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की ब.हि.ब. कृषि भूमि:-

चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 35/40 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

|         |        |                                |
|---------|--------|--------------------------------|
| प.नं.   | मु.नं. | कि.नं.                         |
| 183/118 | 21     | 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है. |

मुमकिन 0.228 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 36/88 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

|         |        |   |
|---------|--------|---|
| प.नं.   | मु.नं. | कि.नं.  |
| 183/118 | 21     | 19,22,23,24/0.253 है.प्र.   |
| 183/119 | 22     | 2/0.126 है., 9/0.127 है.(किलो की पश्चिमी दिशा में)<br>कुल 1.265 है. कृषि भूमि |

वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काष्ठकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी को खातेदार काष्ठकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से उक्त कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 8 व 9 को भू-धारक होने के



कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से लिखी फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस.टी.पी. के खाता सं. 35/40 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.012 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.3795 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 0.3795 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 को 0.253 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काप्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस.टी.पी. के खाता सं. 36/88 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.277 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.506 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 0.506 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 को 1.265 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काप्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एस.टी.पी. के खाता सं. 52/8 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.265 है. कृषि भूमि में से वादी को 1/2 हिस्सा का तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 1/2 हिस्सा के ब.हि.ब. खातेदार काप्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1, 4 व 5 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसके अलावा तहसील पीलीबंगा के चक 46 एन.डी.आर. के खाता सं. 70/61 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 6 व 7 के नाम से 2.125 है. कृषि भूमि में से वादी को 1/2 हिस्सा का तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 1/2 हिस्सा के ब.हि.ब. खातेदार काप्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6 व 7 का नाम कलमजन किया जावे। वादी के मृतक भाई का नाम जैन कुमार उर्फ जिनेन्द्र कुमार के स्थान पर जैन कुमार अंकित किया जावे एव वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी का खाता अलग से कायम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 8, 9 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी जीतकुमार ने अपना शपथ-पत्र अर्न्तगत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया, और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादीगण द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी निम्नानुसार प्रदर्श/प्रस्तुत किये गये :-

1. चक 3 एसटीपी खाता संख्या 36/88 ज.स. 2073-73 प्रदर्श-1
2. चक 2 एसटीपी खाता संख्या 52/8 ज.स. 2070-73 प्रदर्श-2
3. चक 46 एनडीआर खाता संख्या 70/61 जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 प्रदर्श-3
4. चक 3 एसटीपी खाता संख्या 35/40 ज.स. 2073-76 प्रदर्श-2

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एक ही कुटुम्ब समुदाय के व्यक्ति है वादग्रस्त कृषि भूमि है जो हमारी जददी जायदाद है जिसका हमने अच्छी मन्दी अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादीगण व प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और सहमति का जवाब दावा भी पेश हो चुके है एवं वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकिल प्रतिवादीगण ने भी वाद पत्र को मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दोराने बहस दी गई।



अधीक्षक एवं  
उप खण्ड अधिकारी  
संगरिया

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 3 एसटीपी खाता संख्या 36/88 ज.स. 2073-73, चक 2 एसटीपी खाता संख्या 52/8 ज.स. 2070-73, चक 46 एनडीआर खाता संख्या 70/61 जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077, चक 3 एसटीपी खाता संख्या 35/40 ज.स. 2073-76 में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

### क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस. टी.पी. के खाता सं. 35/40 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.012 है। कृषि भूमि में से वादी को 0.3795 है। कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 0.3795 है। कृषि भूमि के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 को 0.253 है। कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करने इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस.टी.पी. के खाता सं. 36/88 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.277 है। कृषि भूमि में से वादी को 0.506 है। कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 0.506 है। कृषि भूमि के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 को 1.265 है। कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करने तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एस.टी.पी. के खाता सं. 52/8 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.265 है। कृषि भूमि में से वादी को 1/2 हिस्सा का तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 1/2 हिस्सा के ब.हि.ब. खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1, 4 व 5 का नाम कलमजन करने तथा इसके अलावा तहसील पीलीबंगा के चक 46 एन.डी.आर. के खाता सं. 70/61 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 6 व 7 के नाम से 2.125 है। कृषि भूमि में से वादी को 1/2 हिस्सा का तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 1/2 हिस्सा के ब.हि.ब. खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6 व 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी का खाता निम्नानुसार अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

1. वादी जीत कुमार पुत्र श्री लालचन्द (1/2 हिस्सा), प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमशः सरोज देवी पत्नी स्व. श्री जैन कुमार एवं अश्वनी जाखड़ पुत्र स्व. श्री जैन कुमार (1/2 हिस्सा ब.हि.ब.) समस्त जाति जाट निवासीगण 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 2 एस.टी.पी. खाता सं. 52/8 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

186/119 27 1ता4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.

मुमकिन 1.240 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 1.265 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 46 एन.डी.आर. खाता सं. 70/61 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं. मु.नं. कि.नं.

60/339 21 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है.,

3/2/0.025 है., 8,9/0.253 है.प्र., 12/1/0.127 है.

13,18/0.253 है.प्र., 22/1/0.101 है.

60/341 31 17/1/0.126 है., 18/0.253 है.



चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 35/40 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
 प.नं. मु.नं. कि.नं. मुमकिन 2.075 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 2.125 है. मय गै.मु. कृषि भूमि  
 183/119 22 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,  
 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7/0.253 है.

चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 36/88 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
 प.नं. मु.नं. कि.नं. मुमकिन 0.709 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि  
 183/119 22 2/0.127 है. (किला की पूर्वी दिशा में)  
 3.4,8/0.253 है.प्र., 9/0.126 है. (किला की पूर्वी दिशा में)  
 कुल 1.012 है. कृषि भूमि

2 प्रतिवादी सं. 6 व 7 क्रमशः रामप्रताप पुत्र श्री बीरबलराम व संदीप कुमार पुत्र श्री बीरबलराम समस्त जाति जाट निवासीगण हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाप्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि:-

चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 35/40 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
 प.नं. मु.नं. कि.नं. मुमकिन 0.228 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि  
 183/118 21 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 36/88 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
 प.नं. मु.नं. कि.नं. मुमकिन 0.228 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि  
 183/118 21 19,22,23,24/0.253 है.प्र.  
 183/119 22 2/0.126 है., 9/0.127 है. (किलो की पश्चिमी दिशा में)  
 कुल 1.265 है. कृषि भूमि

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23.2.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



HC

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
 उपखण्ड अधिकारी  
 संगरिया

डिक्री बगुनदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्याप्रक्रियां सहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए  
प्रकरण संख्या:- 54/2026



श्री लालचन्द जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला  
- वादी

**बनाम्**

1. सावित्री पत्नी श्री लालचन्द जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला
2. हनुमानगढ़(राज.)
3. सरोज देवी पत्नी स्व. श्री जैन कुमार जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला
4. हनुमानगढ़(राज.)
5. अश्वनी जाखड़ पुत्र स्व. श्री जैन कुमार जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तह. पीलीबंगा जिला
6. हनुमानगढ़(राज.) जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. शिवानी जाखड़ पुत्री स्व. श्री जैन कुमार जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला
8. हनुमानगढ़(राज.)
9. रवीना जाखड़ पुत्री स्व. श्री जैन कुमार जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला
10. हनुमानगढ़(राज.)
11. रामप्रताप पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. संदीप कुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
14. तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कर्तई रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस.टी.पी. के खाता सं. 35/40 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.012 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.3795 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 0.3795 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 को 0.253 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करने इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस.टी.पी. के खाता सं. 36/88 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.277 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.506 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 0.506 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 को 1.265 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करने तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एस.टी.पी. के खाता सं. 52/8 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.265 है. कृषि भूमि में से वादी को 1/2 हिस्सा का तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 1/2 हिस्सा के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1, 4 व 5 का नाम कलमजन करने तथा इसके अलावा तहसील पीलीबंगा के चक 46 एन.डी.आर. के खाता सं. 70/61 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी सं. 6 व 7 के नाम से 2.125 है. कृषि भूमि में से वादी को 1/2 हिस्सा का तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 1/2 हिस्सा के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6 व 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी का खाता निम्नानुसार अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

1. वादी जीत कुमार पुत्र श्री लालचन्द (1/2 हिस्सा), प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमशः सरोज देवी पत्नी स्व. श्री जैन कुमार एवं अश्वनी जाखड़ पुत्र स्व. श्री जैन कुमार (1/2 हिस्सा ब.हि.ब.) समस्त जाति जाट निवासीगण 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :- चक 2 एस.टी.पी. खाता सं. 52/8 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
- |         |        |  |
|---------|--------|--|
| प.नं.   | मु.नं. | कि.नं.   |
| 186/119 | 27     | 1ता4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है. |

कलक्टर एवं  
अधिकारी  
संगरिया

मुमकिन 1.240 है, गै.मु. 0.025 है, कुल 1.265 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 46 एन.डी.आर. खाता सं. 70/61 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77

प.नं. मु.नं. कि.नं.

60/339 21 2/1/0.228 है, 2/2/0.025 है, 3/1/0.228 है,  
3/2/0.025 है, 8,9/0.253 है.प्र., 12/1/0.127 है,  
13,18/0.253 है.प्र., 22/1/0.101 है.

60/341 31 17/1/0.126 है, 18/0.253 है.

मुमकिन 2.075 है, गै.मु. 0.050 है, कुल 2.125 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 35/40 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

183/119 22 5/1/0.228 है, 5/2/0.025 है,  
6/1/0.228 है, 6/2/0.025 है, 7/0.253 है.

मुमकिन 0.709 है, गै.मु. 0.050 है, कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 36/88 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

183/119 22 2/0.127 है. (किला की पूर्वी दिशा में)  
3,4,8/0.253 है.प्र., 9/0.126 है.(किला की पूर्वी दिशा में)  
कुल 1.012 है. कृषि भूमि

2 प्रतिवादी सं. 6 व 7 क्रमशः रामप्रताप पुत्र श्री बीरबलराम व संदीप कुमार पुत्र श्री बीरबलराम समस्त जाति जाट निवासीगण हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की ब.हि.ब. कृषि भूमि:- चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 35/40 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

183/118 21 25/1/0.228 है, 25/2/0.025 है.

मुमकिन 0.228 है, गै.मु. 0.025 है, कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 36/88 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

183/118 21 19,22,23,24/0.253 है.प्र.

183/119 22 2/0.126 है, 9/0.127 है.(किलो की पश्चिमी दिशा में)  
कुल 1.265 है. कृषि भूमि

नोट:- वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.  नल.  मुख्लिक.  निल.  बाबत.  निल.  खर्चा मुकदमें के मय

मुद को शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक  अदा करें।

दस्तावेज मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.2.2024 को जारी किया गया।



(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान